



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 नवम्बर, 2020

अग्रहायण 5, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1237/9-1-2020-12 टी0ए0-20

लखनऊ, 26 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-318

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2788-टी/9-1-44-टी (1)/70, दिनांक 01 अगस्त, 1972 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत औरास, जिला उन्नाव के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

### अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2788-टी/9-1-44-टी (1)/70, दिनांक 01 अगस्त, 1972 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती

अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत औरास, जिला उन्नाव के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती है।

### अनुसूची

नगर पंचायत औरास, जिला उन्नाव के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र

क्र० सं०	ग्राम का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1	2	3	4
1	औरास ग्रामीण	उत्तर	01 से 301 तक, 589 से 608 तक, 613 से 670 तक, 672 से 901 तक
		दक्षिण	1037 से 1044 तक, 1046 से 1059 तक, 1062 से 1072 तक, 1075 से 1148 तक
		पूर्व	986, 987, 988, 991 से 1006 तक, 1020, 1021, 1024, 1149, 1150, 1152, से 1329 तक
		पश्चिम	302 से 583 तक
2	कटरा औरास	उत्तर	01 से 181 तक, 185 से 191 तक, 201 से 210 तक, 213, 216 से 335 तक, 351 से 358 तक, 1357 / 358, 359 से 379 तक
		दक्षिण	1140 से 1247 तक, 1261 से 1314 तक
		पूर्व	336 से 350 तक, 381, 382, 383, 384, 385, 215, 394, 395, 398 से 871 तक, 877 से 941 तक, 949, 951, 962 से 1110 तक, 1114, 1115, 1120 से 1139 तक, 1248 से 1263 तक

आज्ञा से,

दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

-----

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1237/IX-1-2020-12T.A.-20, dated November 26, 2020:

No. 1237/IX-1-2020-12T.A.-20

Dated Lucknow, November 26, 2020

THE following draft notification, which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) and in partial modification of notification no. 2788-T/9-1-44-T(1)/70, dated August 01, 1972 and other previous notifications issued in this behalf including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Auras in District Unnao, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhavan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

#### **Draft Notification**

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), and in partial modification of notification no. 2788-T/9-1-44-T(1)/70, dated August 01, 1972 and other previous

notification issued in this behalf, the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Auras in District Unnao for the purposes of part IX-A of the Constitution .

SCHEDULE

**Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Auras in District Unnao**

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
1	Auras Rural	North	01 to 301, 589 to 608, 613 to 670, 672 to 901
		South	1037 to 1044, 1046 to 1059, 1062 to 1072, 1075 to 1148
		East	986, 987, 988, 991 to 1006, 1020, 1021, 1024, 1149, 1150, 1152, to 1329
		West	302 to 583
2	Katra Auras	North	01 to 181, 185 to 191, 201 to 210, 213, 216 to 335, 351 to 358, 1357/358, 359 to 379
		South	1140 to 1247, 1261 to 1314
		East	336 to 350, 381, 382, 383, 384, 385, 215, 394, 395, 398 to 871, 877 to 941, 949, 951, 962 to 1110, 1114, 1115, 1120 to 1139, 1248 to 1263

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*